न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी	:	मदनलाल बालोटिया, आर.जे.एस. (यूआईडी-आरजे00986)
नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या	:	469/2020
सीएनआर नम्बर	:	RJDG070006672020

राजस्थान राज्य -- अभियोगी

बनाम

1. हुरमा पिता वेसात, उम्र 60 वर्ष
2. श्रीमती लक्ष्मी उर्फ थावरी पत्नी हुरमा, उम्र 52 वर्ष
3. कावा पिता हुरमा, उम्र 30 वर्ष

निवासीयान गुलाबपुरा, पुलिस थाना कुंआ, जिला डूंगरपुर (राज.)

-- अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः-

1. अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य की ओर से अनुपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र बुनकर, अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 06.06.2026

1. इस प्रकरण का उद्भव अभियोजन अधिकारी द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना कुंआ की ओर से अभियुक्तगण हुरमा, श्रीमती लक्ष्मी उर्फ थावरी व कावा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में ''भा.द.सं.'') में अभियोग-पत्र दिनांक 24.07.2020 को प्रस्तुत किये जाने पर हुआ।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी प्रभु ने एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 दिनांक 17.06.2020 को पुलिस थाना कुंआ में इस आशय की पेश की कि दिनांक 16.06.2020 को समय करीब 6 बजे की बात है। उसके पिताजी के तीन भाई थे। करीब 10 वर्ष पूर्व उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है। उसके बाबा जगा ने शादी नहीं की है, जिसकी देखभाल प्रार्थी करता आ रहा है। उसके बाबा के हिस्से की जमीन उसका काका हुरमा कमाता है। प्रार्थी बाबा जगा की जमीन के बंटवारे के बारे में बात करने के लिए काका हुरमा के घर गया व बात कर वापस अपने घर लौट रहा था तभी रास्ते में अचानक उसे रोककर काकी श्रीमती थावरी ने उसपर मिर्ची डाल दी तथा हुरमा व उसके काका का लड़के कावा ने प्रार्थी के दोनों पैरों पर लट्ट मारा। तीनों से मिलकर प्रार्थी के साथ लातों-मुक्कों से मारपीट की। बीच-बचाव हेतु चिल्लाने पर उसकी मां श्रीमती सविता आयी, तो हुरमा ने उसकी मां के भी पीठ पर लट्ठ मारा। उसका भाई गौतम बीच-बचाव हेतु मौके पर

आया तथा बीच-बचाव किया, ...इत्यादि। उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना, कुंआ पर अभियोग संख्या 60/2020 अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भा.द.सं. दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया।

3. अनुसंधानोपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भा.द.सं. में अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित दाण्डिक किया गया। अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भा.द.सं. का अभियोग सार मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अन्वीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 1 हितेश, पी.डब्ल्यु. 2 लखा, पी.डब्ल्यु. 3 श्रीमती सविता, पी.डब्ल्यु. 4 डॉ. ध्रुव, पी.डब्ल्यु. 5 प्रभु, पी.डब्ल्यु. 6 गौतमलाल व पी.डब्ल्यु. 7 कमलाशंकर को परीक्षित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-6 के रूप में प्रदर्शित करवाये गये।

5. अभियुक्तगण के विरूद्ध आयी अभियोजन साक्ष्य के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्तगण का परीक्षण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत् किया गया, जिसमें उन्होंने अभियोजन साक्षीगण के कथनों का गलत होना बताते हुए कहा कि उन्हें झूठा फंसाया है। प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

6. बहस अंतिम उभय पक्ष की दिनांक 04.026.2026 को सुनी गयी। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है कि *''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 16.06.2020 को समय करीब 6.00 बजे मौजा गुलाबपुरा में प्रार्थी प्रभु को स्वेच्छया रोककर उसके तथा बीच-बचाव में आयी श्रीमती सविता के साथ कुन्दालय से मारपीट कर साधारण प्रकृति की उपहतियां कारित की? यदि हाँ, तो उचित दण्ड क्या होगा?''*

7. उक्त अवधार्य प्रश्न को सकारात्मक रूप से युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया है। इन साक्षीगण में प्रार्थी/आहत पी.डब्ल्यु. 5 प्रभु, आहता पी.डब्ल्यु. 3 श्रीमती सविता, चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यु. 6 गौतम तात्विक साक्षीगण है। शेष साक्षीगण में नक्शा मौका के साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 1 हितेश व पी.डब्ल्यु. 2 लखा, चिकित्सक पी.डब्ल्यु. 4 डॉ. ध्रुव एवं अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु. 7 कमलाशंकर हैं।

8. अवधार्य प्रश्न के क्रम में प्रथमतः तात्विक साक्षीगण की साक्ष्य की विवेचना करे, तो प्रार्थी/आहत पी.डब्ल्यु. 5 प्रभु ने उसकी मुख्य परीक्षा में प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा है कि वर्ष 2020 की बात है। उसके बडे पापा जगा ने शादी नहीं की थी, जिससे उनके कोई औलाद नहीं होने से वे प्रभु के पास ही रहकर

Authenticated document

खाना-पीना करते थे। जगा के हिस्से की जमीन पर हुरमा खेती करके कमाता था। जगा की जमीन के बंटवारे के बारे में शाम 6 बजे प्रभु, हुरमा से बात करने गया तथा वहां से जब वापस घर आ रहा था तब रास्ते में उसकी काकी श्रीमती थावरी ने उसे रोककर उसपर मिर्ची डाल दी तथा हुरमा तथा उसका लड़का कावा आये और उसके साथ लट्ठ व लातों-मुक्कों से मारपीट की। प्रभु की मां श्रीमती सविता बीच-बचाव करने आयी, तो अभियुक्त हुरमा ने उसके पीठ पर लट्ठ मारा। भाई गौतम ने मौके पर आकर बीच-बचाव किया। उक्त घटना बाबत उसने थाने में रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 दी। उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-4, चॉक एफआईआर प्रदर्श पी-6 तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने स्वीकार किया कि उनका जमीन संबंधी विवाद है। यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्तगण ने उनपर केस किया है।

9. आहता पी.डब्ल्यु. 3 श्रीमती सविता तथा चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यु. 6 गौतमलाल ने उनकी मुख्य परीक्षा में प्रार्थी पी.डब्ल्यु. 5 प्रभु के कथनों की ही यथावत सम्पुष्टि कर अभियुक्तगण द्वारा प्रभु को रास्ते जाते रोककर मारपीट करना तथा बीच-बचाव में आयी श्रीमती सविता के साथ भी मारपीट करना बताया है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं आया है, जिससे उनकी मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों का खण्डन होता हो।

10. इस प्रकार उक्त सभी साक्षीगण की साक्ष्य की समग्र रूप से विवेचना करे, तो प्रार्थी पी.डब्ल्यु. 5 प्रभु ने उसकी सशपथ साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट किया जाना बताया है। इस तथ्य की सम्पुष्टि आहता पी.डब्ल्यु. 3 श्रीमती सविता तथा चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यु. 6 गौतमलाल द्वारा भी उसकी सशपथ साक्ष्य में की गयी है।

11. इनके अलावा घटनास्थल की सम्पुष्टि नक्शा मौका के साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 1 हितेश व पी.डब्ल्यु. 2 लखा की साक्ष्य से होती है, जिन्होंने उनकी सशपथ साक्ष्य में पुलिस द्वारा मौके पर आकर नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 बनाना एवं इस पर उनके हस्ताक्षर होने की संपुष्टि की है। इनके अलावा चिकित्सक साक्षी पी.डब्ल्यु. 4 डॉ. ध्रुव ने आहतान के शरीर पर आयी चोटों की संपुष्टि करते हुए प्रभु के शरीर पर कुल दो चोटें तथा आहता श्रीमती सविता के शरीर पर कुल 1 चोट साधारण प्रकृति की कुंदाला कारित होना कहा है। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु. 7 कमलाशंकर ने भी उसकी मुख्य परीक्षा में उसके द्वारा अनुसंधान के दौरान की गयी कार्यवाहियों की सम्पुष्टि करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होना बताया है, जिसका प्रतिपरीक्षा में कोई खण्डन नहीं हुआ है। इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी की प्रतिपरीक्षा में भी कोई तात्विक विरोधाभास या खण्डन नहीं आया है।

12. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की उक्तानुसार विवेचना से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण हुरमा, श्रीमती लक्ष्मी उर्फ थावरी एवं कावा को

Authenticated document

उन पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भा.द.सं. में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

13. परिणामस्वरूप अभियुक्तगण 1. हुरमा पिता वेसात, 2. श्रीमती लक्ष्मी उर्फ थावरी पत्नी हुरमा व 3. कावा पिता हुरमा, निवासीयान गुलाबपुरा, पुलिस थाना कुंआ, जिला डूंगरपुर (राज.) को उन पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलका निरस्त किये जाते हैं।

(मदनलाल बालोटिया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सागवाड़ा जिला डूंगरपुर

<u>परिवीक्षा व दण्ड के बिन्दु पर</u>

14. परिवीक्षा व दण्ड के बिन्दु पर सुना गया। उभय पक्ष (अभियुक्तगण) की ओर से प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्तगण की दोषसिद्धि सम्मन प्रकृति के मामले में हुई है। अभियुक्तगण ने 5 वर्ष से अधिक अवधि तक अन्वीक्षा भी भुगती है। अतः प्रकरण के उपर्युक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

15. परिणामतः अभियुक्तगण 1. हुरमा पिता वेसात, 2. श्रीमती लक्ष्मी उर्फ थावरी पत्नी हुरमा व 3. कावा पिता हुरमा, निवासीयान गुलाबपुरा, पुलिस थाना कुंआ, जिला डूंगरपुर (राज.) की अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्धि पर उन्हें उक्त अपराधों हेतु तत्काल किसी दण्ड से दण्डित नहीं कर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त 15,000/- रूपये का मुचलका व समान राशि की एक जमानत एक वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों की पेश कर तस्दीक करावे कि वह समाज में शान्ति व सदाचार बनाए रखेगा, अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर सजा भुगतने हेतु तत्पर रहेगा, तो अभियुक्तगण को परिशांति व सदाचार की परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। साथ ही आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत् 200/- रूपये (अक्षरे दो सौ रूपये) कुल 600/- (अक्षरे छः सौ रूपये) बतौर अभियोजन व्यय न्यायालय में जमा करावे। परिवादी/आहतगण को साधारण चोटें हैं, इसलिए कोई प्रतिकर राशि नहीं दिलाई जा रही है।

(मदनलाल बालोटिया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सागवाड़ा जिला डूंगरपुर

Authenticated document

16. निर्णय आज दिनांक 06.06.2026 को लिखाया व हस्ताक्षरित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल बालोटिया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सागवाड़ा जिला डूंगरपुर

Steno Gr. III
DARSHAN KUMAR SUTHAR
Digitally signed by DARSHAN KUMAR SUTHAR
Location: ACJM COURT, SAGWARA
Date: 2026.06.09 11:19:08 +0000

Authenticated document